उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 509 / VII-1 / 2019 / 252–ख / 04
देहरादून, दिनांकः 09 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील दुग नाकुरी के ग्राम चक पहरूड़ा के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.168 है० क्षेत्रफल में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री इन्दर लाल बालाजी मिनरल्स, बजरंग आयल, बैजनाथ, जनपद बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–944 / VII-1 / 16 / 252–ख / 04, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा मै० बालाजी मिनरल्स, प्रो० इन्दर लाल पुत्र श्री चम्बा राम, निवासी बजरंग आयल, बैजनाथ, तहसील गरूड़, जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील दुग नाकुरी के ग्राम चक पहरूड़ा के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.168 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1481 / खनन / बागे० / 37 / भू०खनि०ई० / 2006–07, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० बालाजी मिनरल्स, प्रो० इन्दर लाल पुत्र श्री चम्बा राम, निवासी बजरंग आयल, बैजनाथ तहसील गरूड़, जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील दुग नाकुरी के ग्राम चक पहरूड़ा के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.168 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.12.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने तथा आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 15 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए शासनादेश संख्या–121 / VII-1-17 / 68–ख / 2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद बागेश्वर, तहसील दुग नाकुरी के ग्राम चक पहरूड़ा के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.168 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	ग्राम चक पहरूड़ा में जोतदार के नाम भूमि श्रेणी 1(क) 4.059 है0, सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.109 है0 कुल भूमि 4.168 है0 एक संहत खण्ड में खसरा विवरण एवं खसरा मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र काभूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो / खनन नियमों / शासनादेशों / स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.109 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6. पट्टाधारक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ), दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या–1621/VII-I/212–ख/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

7.7. पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.8. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.9. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव

संख्याः 509 (1)/VII-1/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मै० बालाजी मिनरल्स, प्रो० इन्दर लाल पुत्र श्री चम्बा राम, निवासी बजरंग आयल, बैजनाथ तहसील गरूड़, जनपद बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव